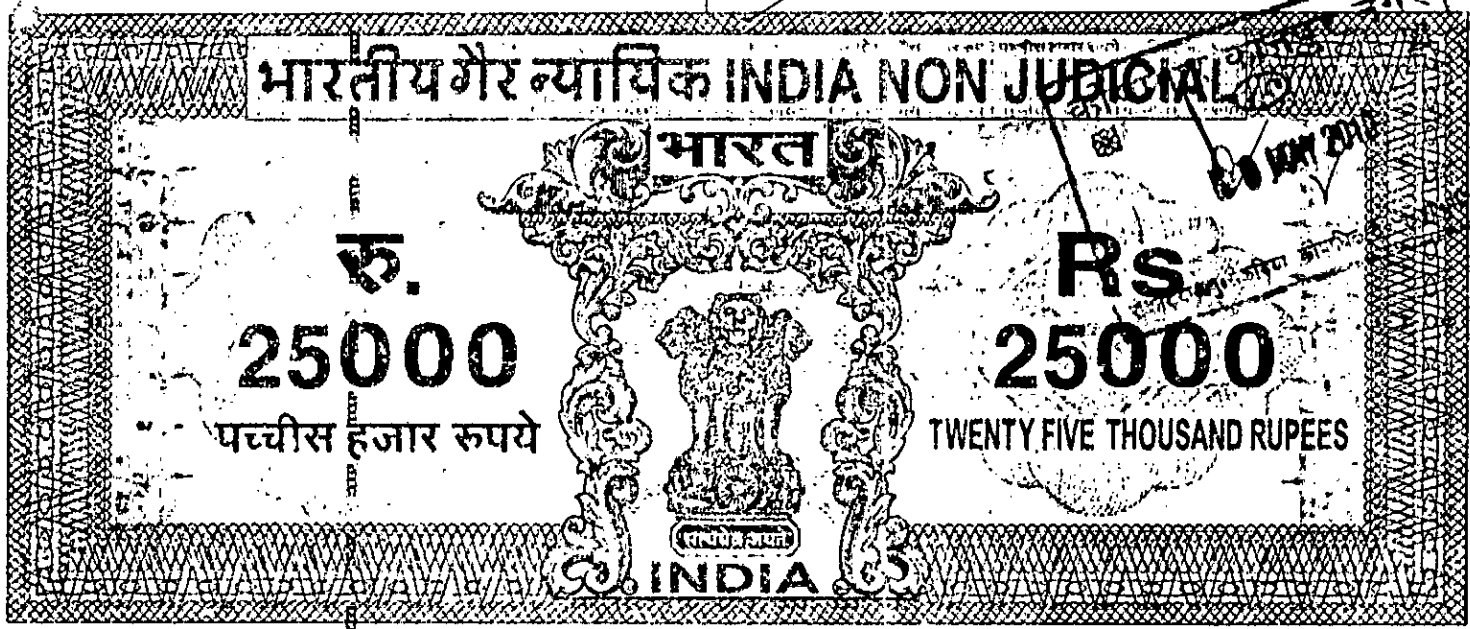


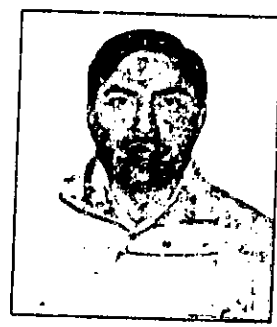
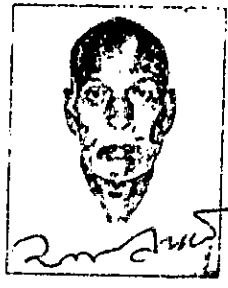
24

1374



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 701819



कार्यालय का नाम	उप निबन्धक, जोन नं. 2, कानपुर नगर
(1) प्रस्तुत दिनांक	: 19-5-2010
(2) निष्पादन दिनांक	: 19-5-2010
(3) लेखपत्र का प्रकार	: विक्रय पत्र
(4) प्रकृतिफल	: रुपया 10,00,000/-
(5) वाज्तारी मूल्य	: रुपया 29,91,650/-

21/5/2010

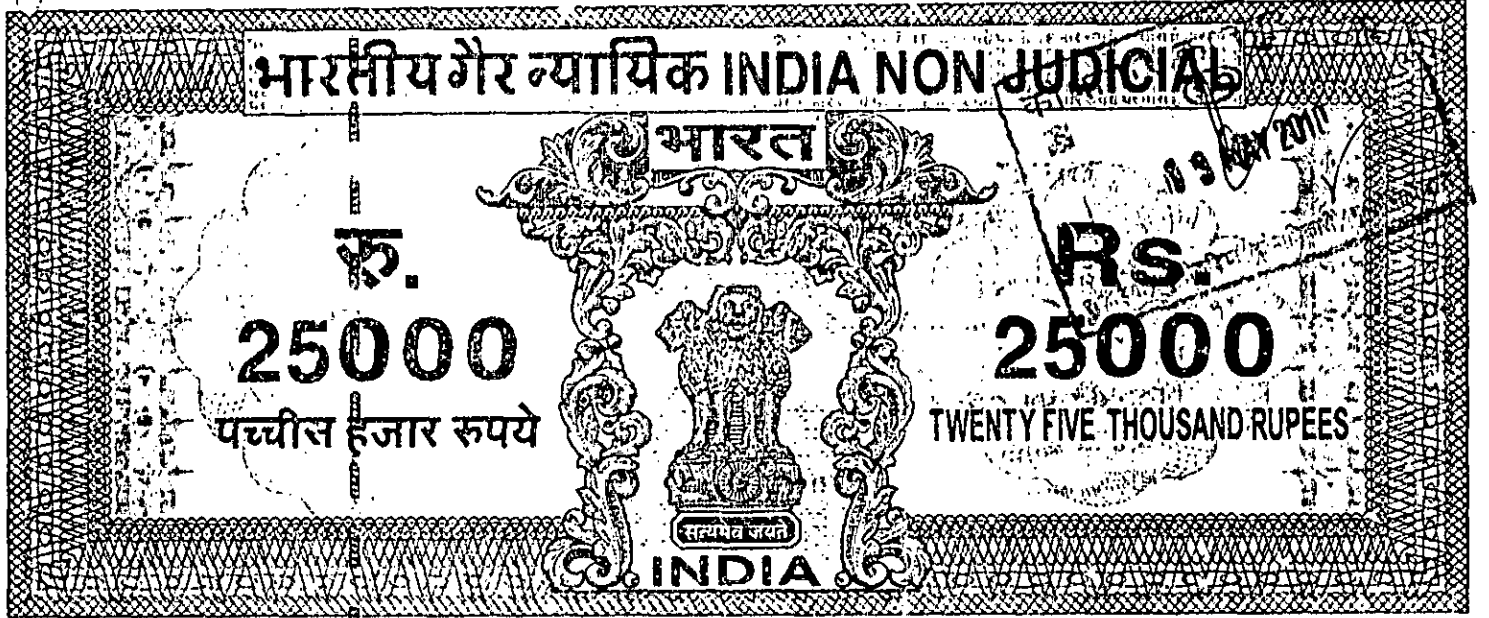
Signature

जोधराजीनं उमिः स्थित नारायण वांगर घमण्डर
के उमि भाग



मे. २०००

मे. २०००



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 701817

3

- (3) आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नहीं है
 (4) सीमा में सड़क की चौड़ाई : चारों ओर कृषि भूमि है
 (5) प्रयोजन : आवासीय
 (6) भवन के तलों की संख्या : X
 (7) निर्माण : X
 (8) निर्माण अवधि : X
 (9) सीमाओं का विवरण :

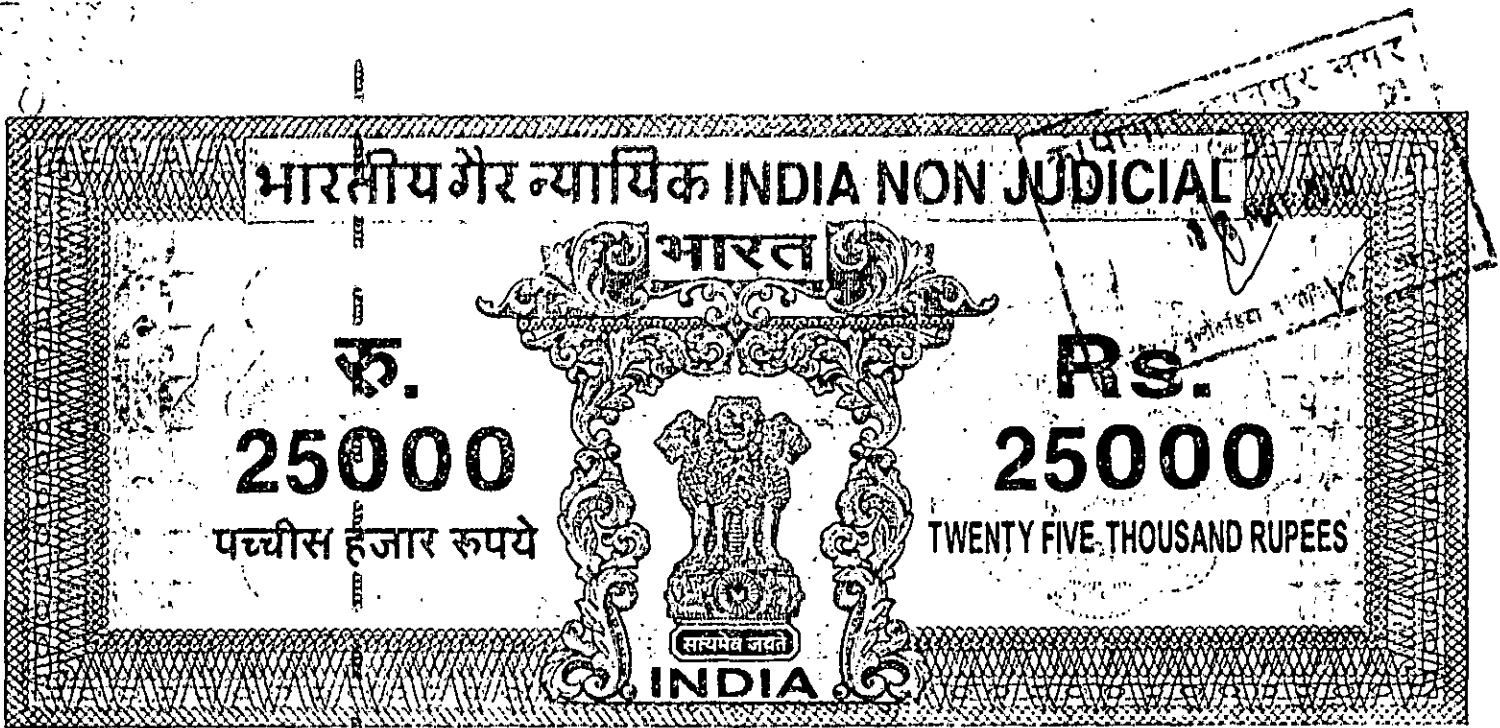
खाता संख्या 00107 आराजी संख्या 3 मि. कुल क्षेत्रफल 0.359 हेक्टेयर का

1/6 भाग विक्रीत क्षेत्रफल 0.05983 हेक्टेयर अर्थात् 598.33 वर्गमीटर स्थित

मौजा नारामऊ बांगर कानपुर नगर की सीमार्ये :

- उत्तर : आराजी संख्या 7 व 8
 दक्षिण : आराजी संख्या 24, 14, 13 व 12
 पूरब : आराजी संख्या 10 व 11
 पश्चिम : अन्य भूमि
 (10) निर्धारित किराया : X

2.5.2.1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 701816

4

- (11) अनुमानित किराया : X
- (12) भवन/भूखण्ड/कृषि भूमि : आवासीय भूखण्ड, जिसपर कोई निर्माण नहीं है, कार्नर का नहीं है और जिसके सामने पार्क नहीं है
- (13) सीमा में सड़क की चौड़ाई : चारों ओर कृषि भूमि है
यहाँ स्थिति

9. स्टाम्प अदायगी का विवरण :

(1) जिलाधिकारी दर भूखण्ड : रुपया 5,000/-प्रति वर्गमीटर

(2) निर्धारित किराया : X

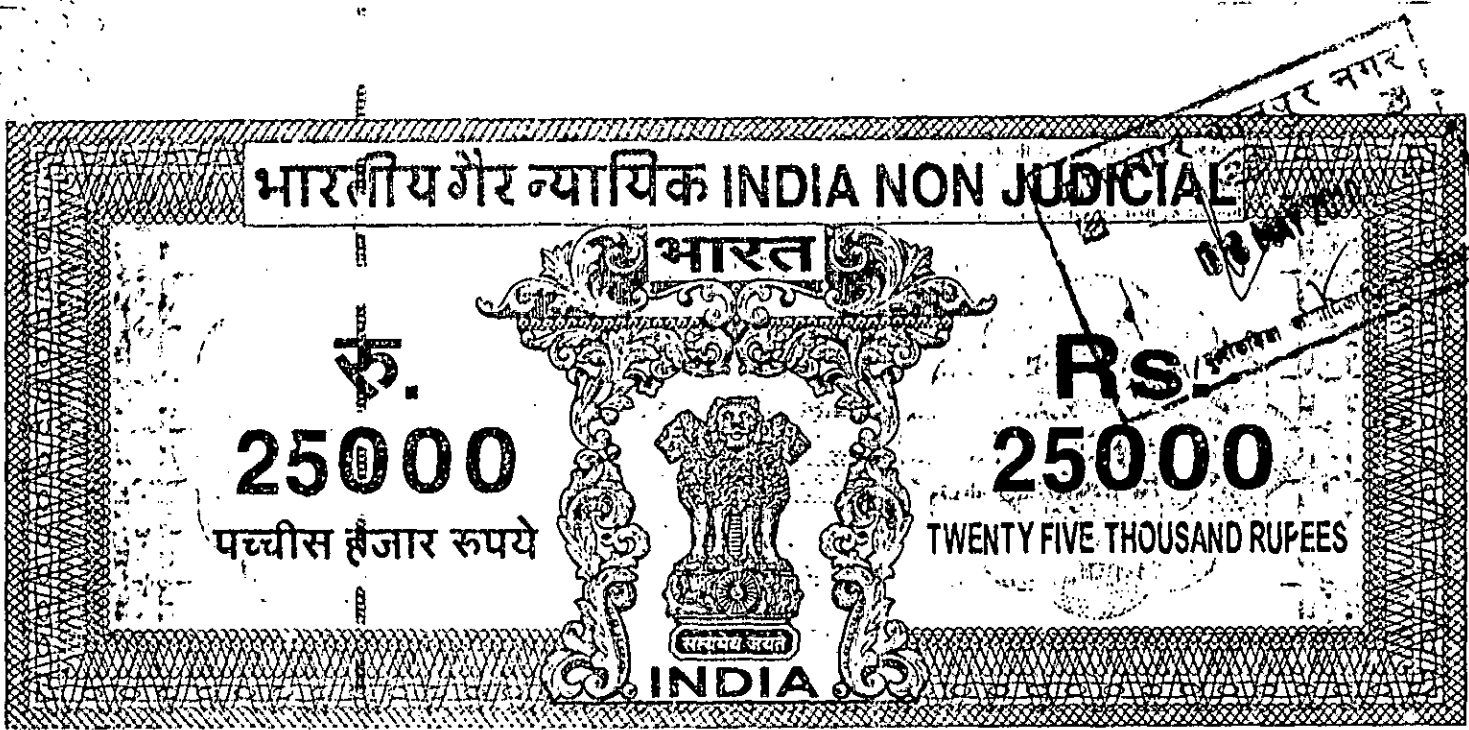
(3) आच्छादित क्षेत्र के लिये : X

निर्माण दर

(4) भूमि का मूल्य : 598.33 X 5000/- =

29,91,650/-रुपया

29.11.81



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 701815

- 5
- (5) निर्माण का मूल्य : X
- (6) अवमानित मूल्य : X
- (7) जिलाधिकारी दर से देय : रुपया 2,09,500 / -
स्टाम्प देयता
- (8) कुल दिया गया स्टाम्प : रुपया 2,09,500 / -

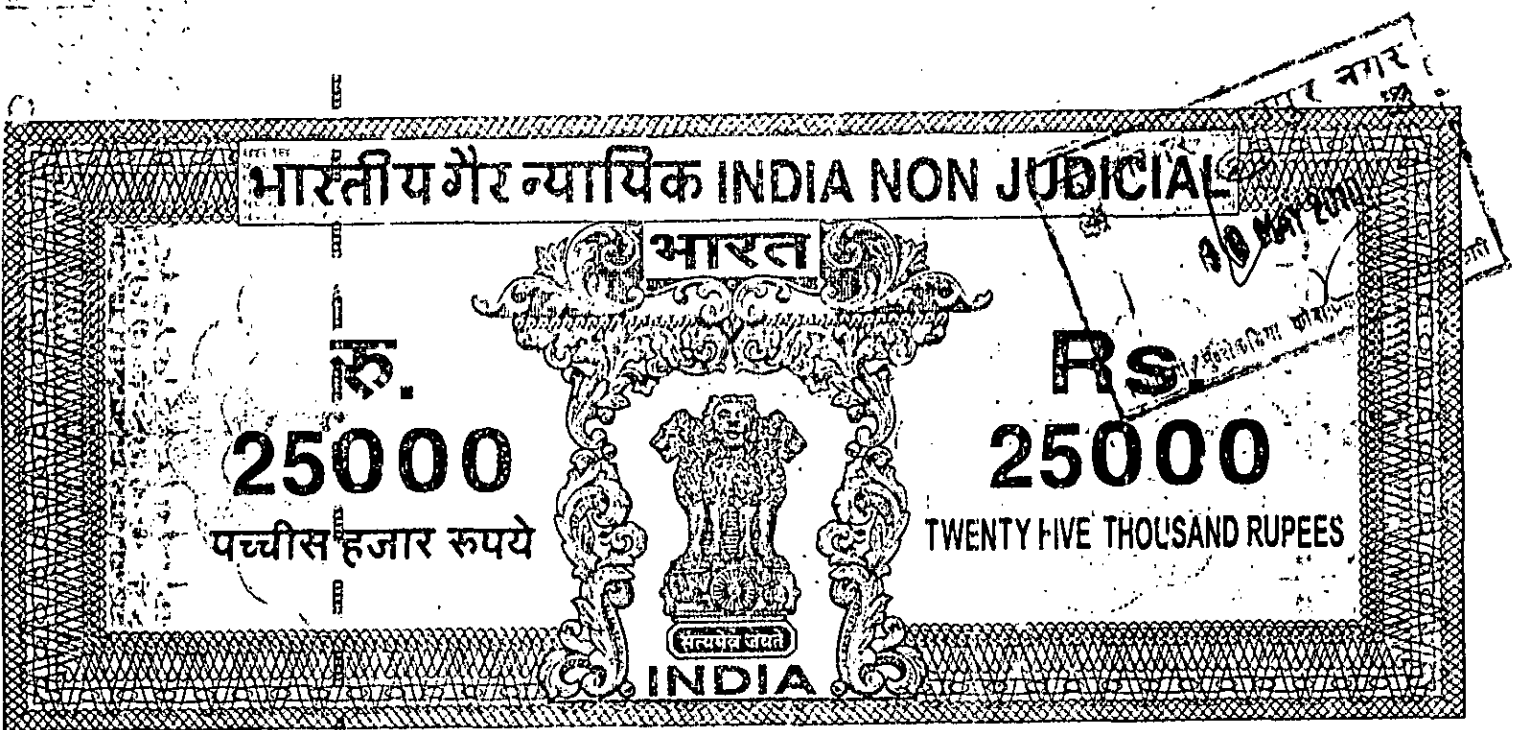
विक्रय-पत्र

राम बाबू वयस्क पुत्र स्वर्गीय वैजनाथ निवासी ग्राम नारामऊ बांगर, कानपुर
नगरविक्रेता / प्रथमपक्ष

एवं

रतन कौलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 113/70, स्वरूप नगर
कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश
चन्द्र तिवारी निवासी 113/70, स्वरूप नगर कानपुर नगर (अधिकृत द्वारा

20/1/2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 701814

6

प्रस्ताव जो बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 1-5-2010 को सर्वसम्पत्ति से पारित हुआ)

.....'क्रेता' / द्वितीयपक्ष

(पक्षों का तात्पर्य उनके उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों आदि से है) ।

विदित हो कि विक्रेतागण खाता संख्या 00107 की आराजी संख्या 3 मि. क्षेत्रफल 0.359 हेक्टेयर का 1/8वां भाग क्षेत्रफल 0.05983 हेक्टेयर अर्थात् 598.33 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारामऊ बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर के स्वामी, मालिक, काबिज दखील हैं । आराजी उपरोक्त पैतृक सम्पत्ति है जिसके स्वामी शिवनरायन, बैजनाथ, रामनाथ थे जिसमें बैजनाथ 1/3 भाग के स्वामी थे उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रगण राम बाबू व राम प्रकाश उनके भाग आराजी उपरोक्त के वरावर वरावर भाग के स्वामी हुये । इस प्रकार राम बाबू-विक्रेता खाता संख्या 00107 की आराजी संख्या 3 मि.

2012/05

2012/05



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

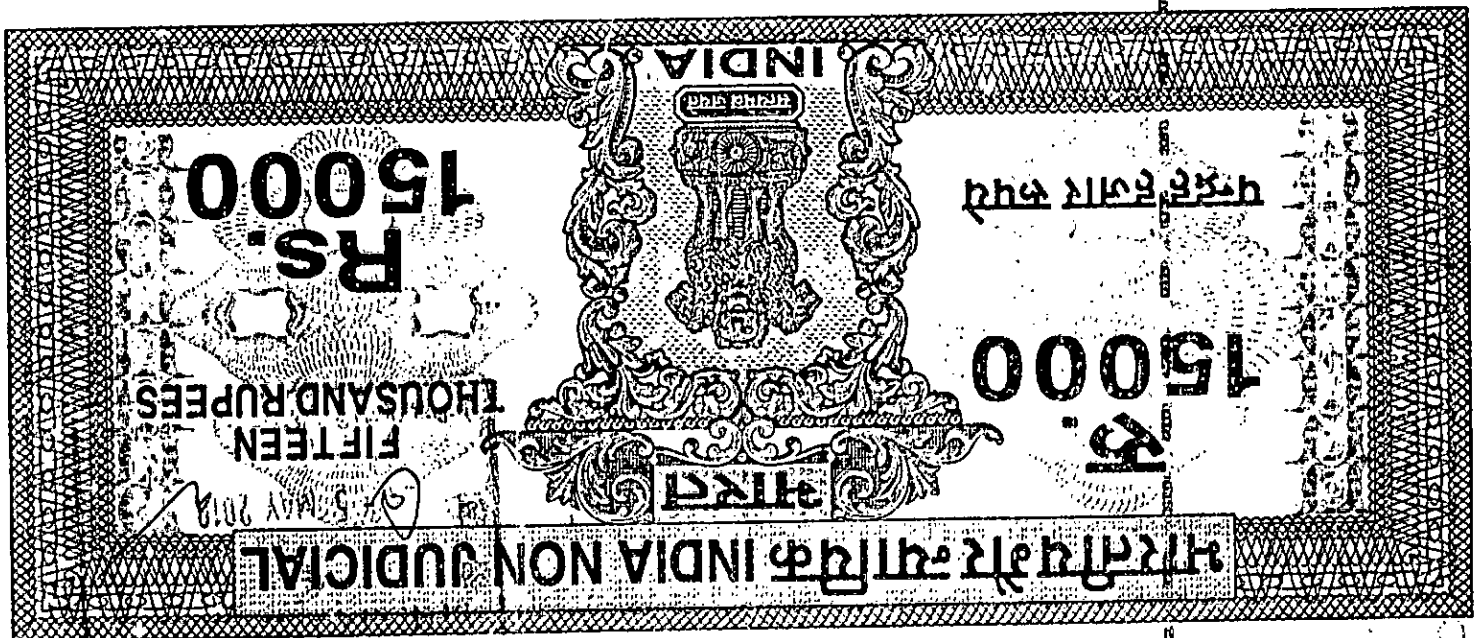
A 701813

7

क्षेत्रफल 0.359 हेक्टेयर का 1/6वां भाग क्षेत्रफल 0.05983 हेक्टेयर अर्थात् 598.33 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारामऊ बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर के स्वामी, मालिक, काबिज दखील हैं । विक्रेता/प्रथम पक्ष का नाम आराजी भूमि उपरोक्त पर भू राजस्व विभाग के अभिलेखों में बहसियत स्वामी अंकित चला आ रहा है और प्रथम पक्ष ही आराजी भूमि उपरोक्त पर काश्त करता व लगान आदि अदा करता चला आ रहा है । प्रथम पक्ष के अलावा आराजी भूमि उपरोक्त का कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है जो कि आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक व साफ है, कहीं किसी तौर पर दीगर जगह रहन व बय व बन्धक आदि नहीं है और प्रथम पक्ष को आराजी भूमि उपरोक्त को विक्रय करने से किसी न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश द्वारा रोका नहीं गया है और आराजी भूमि उपरोक्त किसी की डिक्री में

22/2/11

आराजी भूमि उपरोक्त के विक्रय करने की बाबत बात चीन की और प्रथम पक्ष अन्य कोई विकल्प प्रार्थित रूपया का नजर नहीं आता है अतः प्रथमपक्ष ने रूपय की आवश्यकता है और आराजी भूमि उपरोक्त के विक्रय करने के अलावा तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी । चूंकि प्रथम पक्ष को इस वकत प्रथम पक्ष को हासिल है । यदि उपरोक्त बातों के विपरीत कोई बात पायी जावे पाक व साफ है और समस्त अधिकार मालिकाना बाबत आराजी भूमि उपरोक्त है । आराजी भूमि उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से कोई नोटिस आज दिन तक प्रथम पक्ष को किसी विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुआ आराजी भूमि उपरोक्त किसी विभाग द्वारा अर्जित नहीं है और अर्जन सम्बन्धी इन्फार्मेशन देखा व खोला देखा व बैंक लोन या रीजिस्ट्रार आदि की नहीं है और कुकु व बरसरे नीलाम आदि नहीं है और आराजी भूमि उपरोक्त में कोई इस्लाम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 561245

9

की आरखी उपरोक्त के हर प्रकार से पाक व साफ होने व तनहा अपनी
मिच्छकत होने का पकीन व इन्मीनन दिवाने पर द्वितीय पक्ष रतन
कालीनाइजस प्रोडक्ट लिमिटेड कायलिय 113/70, खरक नगर

कानपुर नगर द्वारा अधिकृत इन्मीननकरी धनजय लिवाही वयस्क पुत्र श्री रमेश

वन्द लिवाही निवासी 113/70, खरक नगर कानपुर नगर वकीमत मुबलिस

10,00,000/- रुपया में खरीद करना स्वीकार किया है कीमत निहायत उचित

व बाजार भाव है और इससे अधिक कीमत कोई निकट भविष्य में देने की तैयार

नहीं है। उक्त आरखी ग्राहि उपरोक्त को मय बाजार अतिकारी के मय दाखिली

व खारिजी होने व आयदा सबके सब की धनजयत जायज मनकरे वाला

लिखत मुबलिस 10,00,000/- रुपया वदरत द्वितीयपक्ष रतन कालीनाइजस

प्रोडक्ट लिमिटेड पलीकत कायलिय 113/70, खरक नगर कानपुर नगर द्वारा

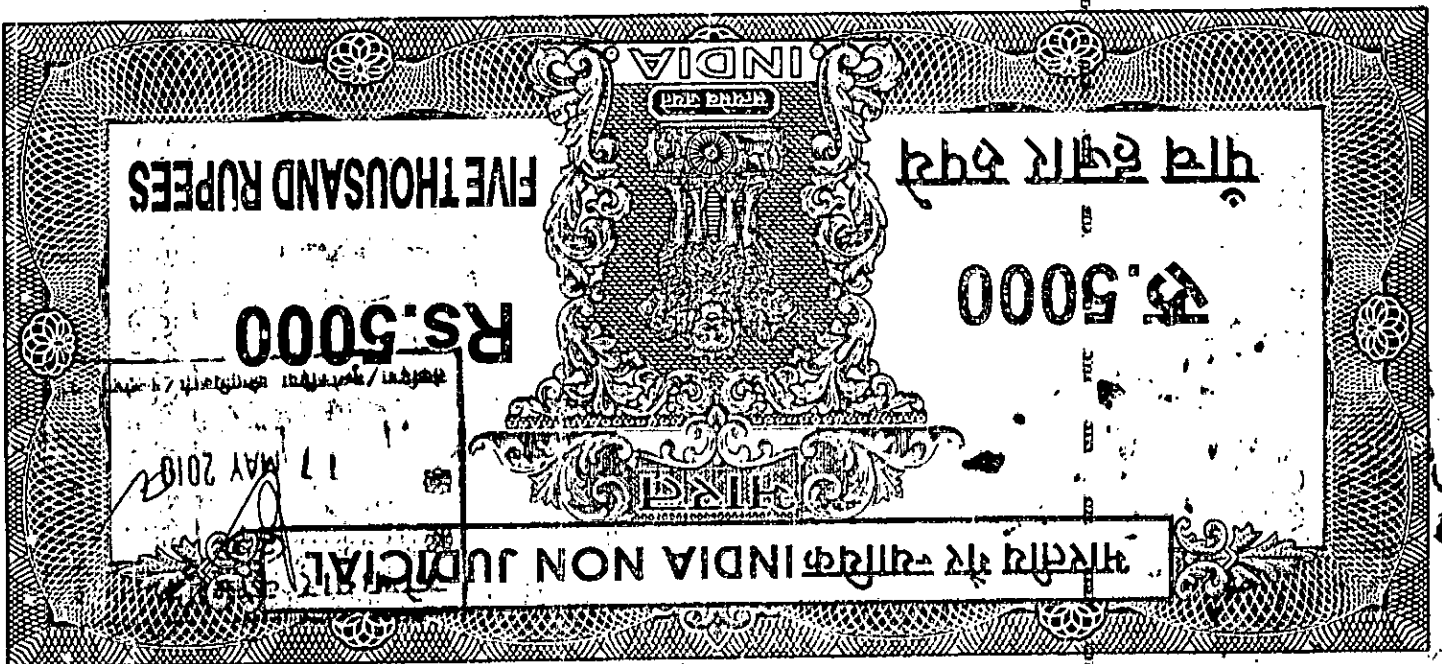
2.2.2010

उपयोग में लें। यदि विक्रीत भाग आराजी उपरोक्त अथवा उसका कोई अंश उठाये अथवा कार्रवाई करे व कराये, जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग व अपने प्रयोग में लावे, रहने व बच व बिना व परीयत आदि करे, किराये पर पक्ष को अधिकार है कि विक्रीत भाग आराजी उपरोक्त को जिस प्रकार से चाहे कब्जा व दखल मालिकाना खरीदार द्वितीय पक्ष को दे दिया। खरीदार द्वितीय उपरोक्त को प्रथम पक्ष ने अपने कब्जा व दखल मालिकाना से निकाल कर बीच पाना बाकी नहीं रहा और न आधुना को धोना और विक्रीत भाग आराजी से प्राप्त कर लिया अब कोई पैसा यादत विक्रय धन जिसमें खरीदार द्वितीय पक्ष जाला और दखल विक्रय धन नीचे लिखे विवरणानुसार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष 113/70, स्कूप नगर कानपुर नगर के बच कलई किया और फरोका कर अधिकृत सरकारी कार्यालय लिखा वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द विवाही निवासी

10

N 561246

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH





द्वितीयपक्ष के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जाये या उसकी बाबत आज दिन तक की बाबत कुछ अट्टा या खर्क करना पड़े या कोई मुकदमा बसित/बिसेले मिलिकयत बुझना पड़े तो खरीदार द्वितीय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान को आधिकार होगा कि अपना कूल या जून विकय धन जैसी कि सूरत हो प्रथम पक्ष की चल व अवल सम्पत्ति से द्वारा न्यायालय वर्सूल कर लेवे और द्वितीय पक्ष खरीदार उपरोक्त को अधिकार है कि विक्रीत भाग आराजी उपरोक्त पर अपना नाम भू राजस्व विभाग के अभिलेखा में अंकित करा लेवे प्रथम पक्ष की रजामन्दी वारंते दाखिल खारिज द्वारा बयानना हुआ समझी जावे और यदि कोई आवश्यकता बाबत दाखिल खारिज प्रथम पक्ष के इस्तेाफर व बयान आदि की होगी प्रथम पक्ष देने के पारान्त होगी और सामरत बरायत विकय पत्र की

विक्रय एवं भाति की दिवस

वक्त जाकर पर काम आवे ।

के अपनी चीज खूशी से यह विक्रय एवं निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और
बिना किसी के सिखलाये व समझाये व बरगलाये व बिना दाब नालायज किसी
अलग बखूबी युन व समझ व पढ़कर अपने होशबोस की दुकली में

होगी और भावन्द रहेगी ।

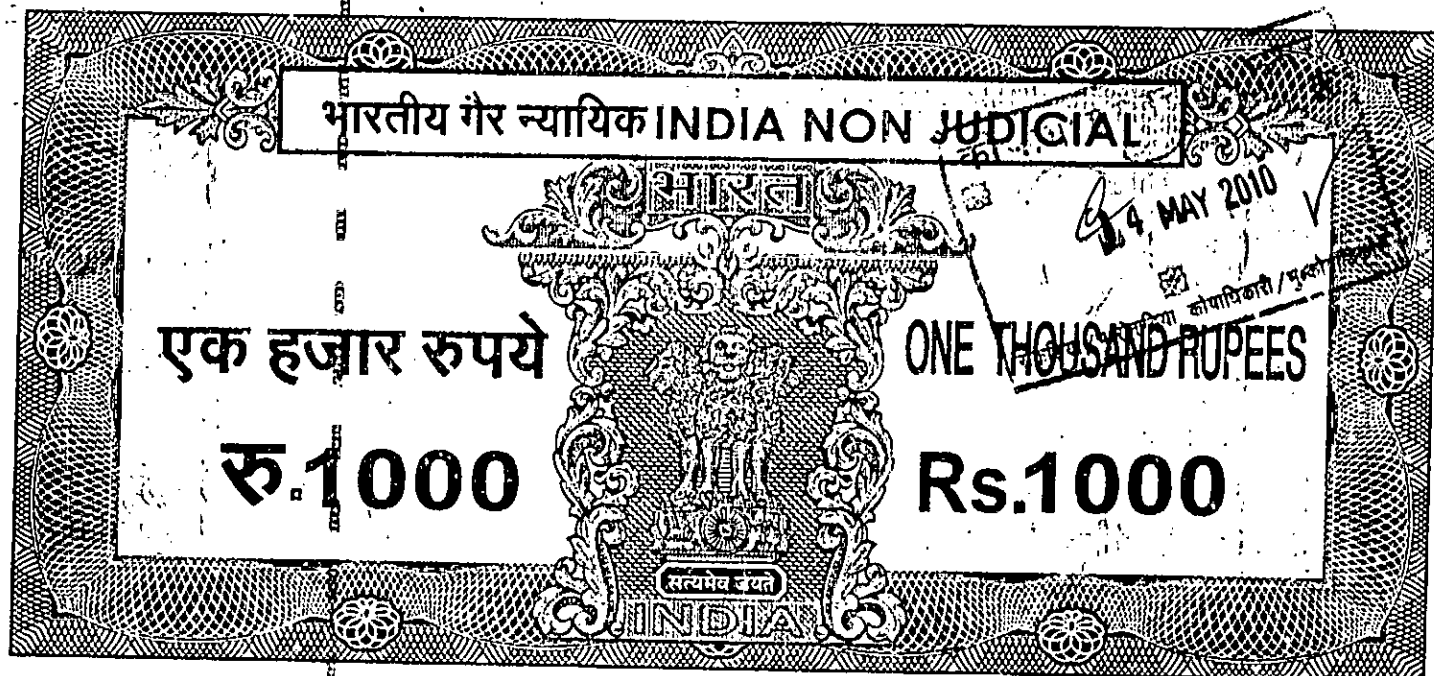
पावन्दी उभय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान पर लालिम व बाजिब

12

N 020336

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 020335

13

मुबलिग 10,00,000/- सम्पूर्ण विक्रयमूल्य प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से समक्ष गवाहान उप निवन्धक कार्यालय में नगद प्राप्त कर लिया है। अव विक्रयमूल्य के सम्बन्ध में विक्रेता को क्रेता से कुछ भी धन प्राप्त करना शेष नहीं रहा।

विक्रेता आपका पाली नहीं
क्रेता का आपका केस AACR 7537F

विक्रेता राम बाबू का बाँया तथा दाँया निशानात पंजा :-

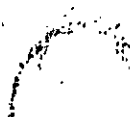
अगूँठा

तर्जनी

मध्यमा

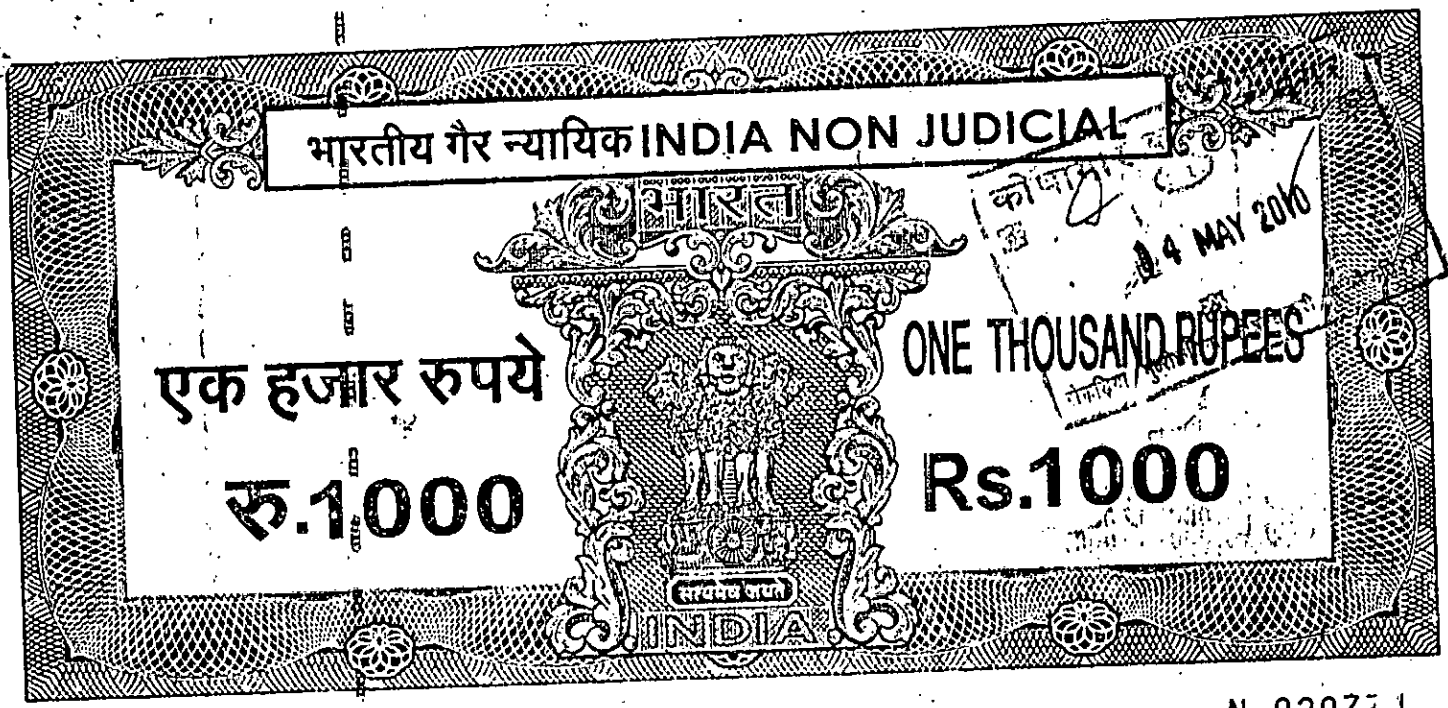
अनामिका

कनिष्ठा



Signature

Signature



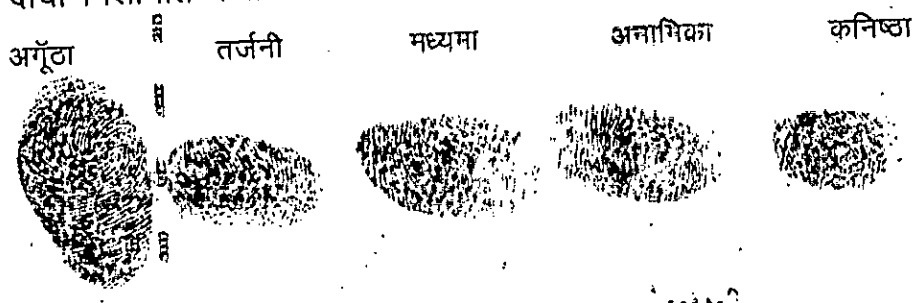
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

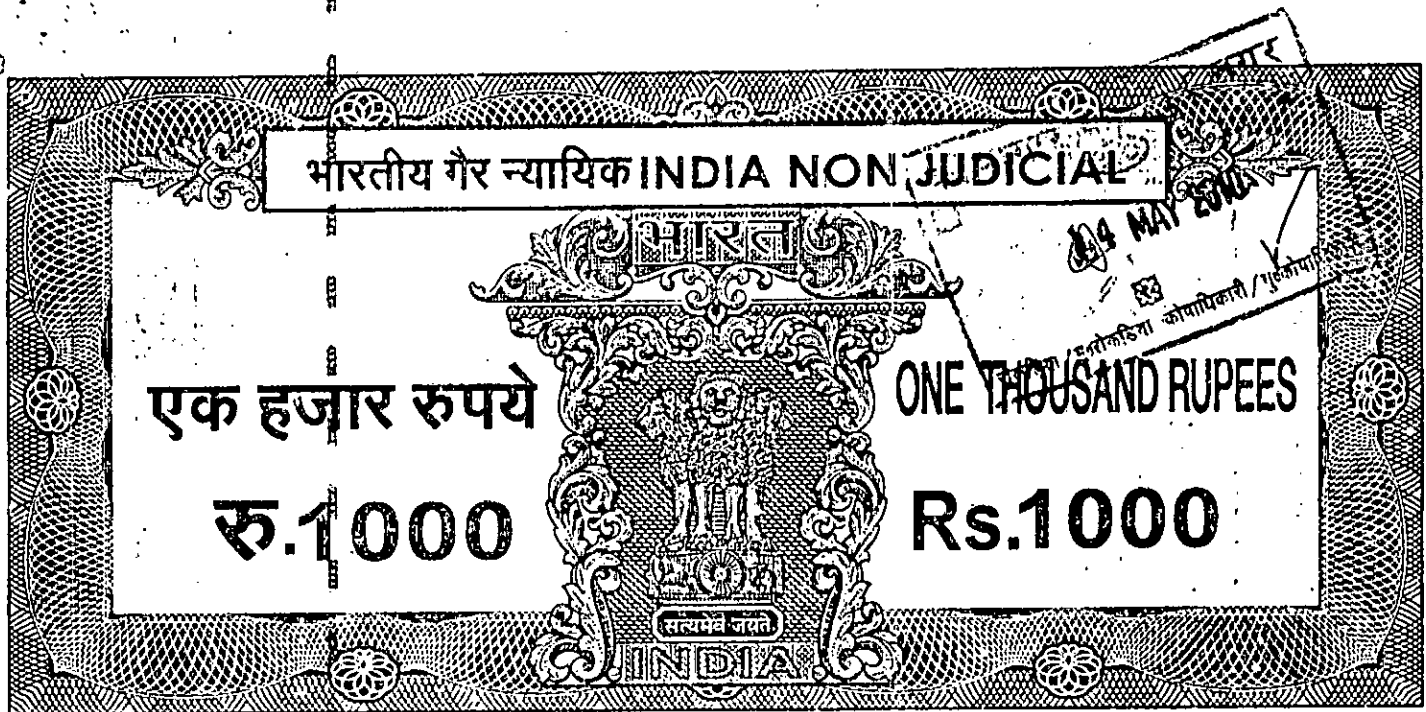
N 020334

14



क्रेता की ओर से उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री धनंजय तिवारी का बॉया तथा
दॉया निशानात पंजा :-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 020333

15

अँगूठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



गवाहान :-

(1) Abin Fareed
S/o R. R. Khan
R/o 105/646
Fakimabad
Kampur

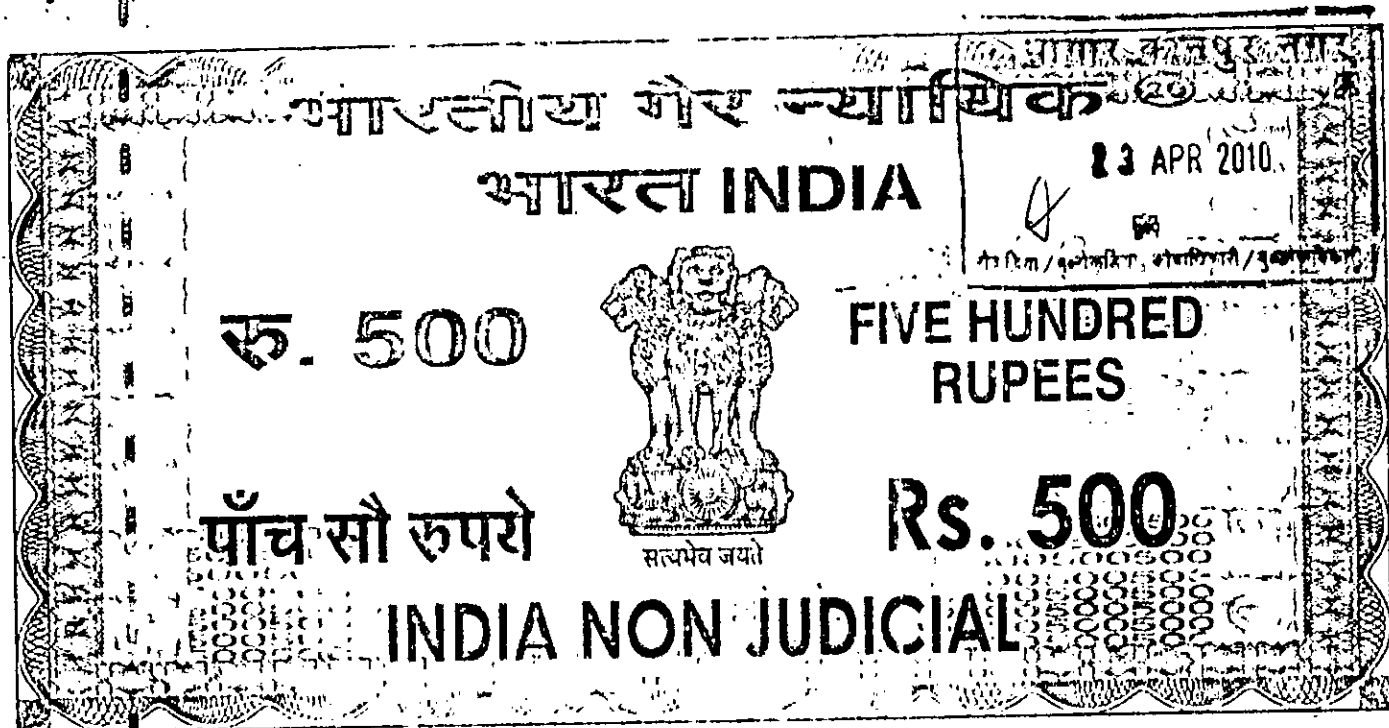
(2) राजेश मिश्रा
S/o राजेश मिश्रा
नारायण मीनापुर

प्रथम पक्ष

2004/05

द्वितीय पक्ष

2004/05



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 510720

16

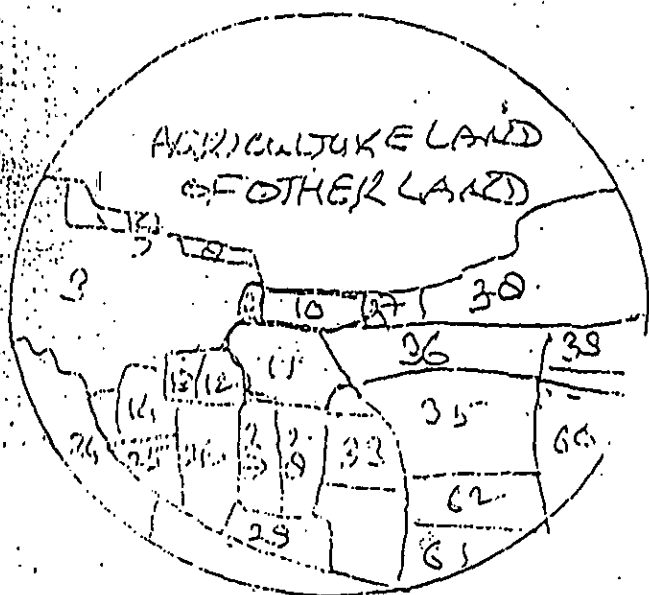
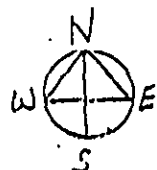
प्रारूप अपने कार्यालय में तैयार कर
मुद्रित कराया।

(अरविन्द कुमार श्रीवास्तव)

एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर ।

LOCATION PLAN OF AGRICULTURE LAND OF
 ARAZI NO- 3 MIN. AT NARMAU
 BALGER TEH/DIST- KANPUR NAGAR
 SOLD AREA - 598.33 00 SQM



SIGN. OF SELLER SIGN. OF PURCHASER SIGN. OF ENGINEER

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Er. L. K. Tripathi
 Civil Engineer
 Approved by, G.O.,
 54/39, Ram Market
 Chaturbhuj Ganj
 Naya Ganj, Kanpur

आज दिनांक 19/05/2010 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 4460

पृष्ठ सं. 271 से 306 पर कमांक 1874

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


आर०सिंह (प्रभारी)

उप निबन्धक (जोन-2)

कानपुर नगर ।

19/5/2010

